संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्र. औ.प्र./2011/978 भोपाल, दिनांकः 2/11/2011

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन के लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 12–11/2010–11/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 11.09.2009 द्वारा प्रदेश में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत दवा नीति वर्ष 2009 का मंत्रि–परिषद द्वारा अनुमोदन दिया गया है।

संचालनालय के आदेश क्रमांक औ.प्र./2010–11/211 दिनांक 29.07.2010 के द्वारा प्रस्तावित दवा नीति 2009 के तहत तमिलनाडू मेडिकल सर्विसेस कारपोरेशन चेन्नई के माध्यम से निविदा कर निर्धारित की गई दरों पर विकेन्द्रीकृत व्यवस्था दिनांक 01.08.2010 से लागू की गई है, पुरानी दरे 31.10.2011 से निष्प्रभावी की जाती है। तमिलनाडू मेडिकल सर्विसेस कारपोरेशन चेन्नई के माध्यम से अगस्त–सितंबर 2011 मे निविदा आमंत्रित की जाकर नई दरें निर्धारित की गई है जो कि प्रदायकर्ता फर्मो से संविदा होने की दिनांक से एक वर्ष तक लागू रहेंगी। इन दरो पर प्रदायकर्ता इकाई से सीधे क्रय करने के लिए सक्षम अधिकारी क्रय हेतु आदेश संविदा होने के बाद दे सकते है। नई दरे प्रदायकर्ता से संविदा होने की दिनांक से लागू की जाती है। विभाग की वेबसाईट www.mphealth.gov.in पर नई दरें एवं संविदा होने की दिनांक दर्शाई गई है।

दवाओं/सामग्री की निर्धारित दरे एवं संविदा की दिनांक समय–समय पर संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा सूचित की जाऐंगी।

(जे.एन. कंसोटिया)
O/c
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. औ.प्र./2010–11/979 भोपाल, दिनांक 2/11/2011

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन समन्वय विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा एवं गैस राहत तथा पुर्नवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. संचालक गैस राहत, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
10. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. प्रबंध संचालक लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश भोपाल।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये/समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
13. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
14. समस्त अधीक्षक विशेष अस्पताल, मध्यप्रदेश।

O/c
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश